राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)
(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
State Agency for Public Service, M.P.
(A Regd Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

क्रमांक:-795/रा.लो.से.अ./प्रशासन/2019 **भोपाल, दिनांक07/06/2019**

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिले (म.प्र.)

विषय-: लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु जिला स्तर से जारी निविदा विषयक |

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि जिलों में संचालित लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु जिलों द्वारा टेंडर प्रक्रिया अंतर्गत वर्तमान में तकनीकी निविदा मूल्यांकन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके सबंध में विभन्न जिलों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा जा रहा है, जिसके सबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है-

क्र	प्रश्न	मार्गदर्शन
1	निविदाकार द्वारा जमा किये गए डिमांड ड्राफ्ट में यदि कोई त्रुटी जैसे कि जिले का नाम नहीं लिखा है अथवा सोसायटी के स्थान पर समिति लिखा हुआ है आदि की स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट मान्य होगा अथवा नहीं ?	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक यह टेंडर फीस या EMD राशि प्राप्त करने के माध्यम है जिनकी स्वीकार्यता बैंक निर्धारित करती है। यह निविदाकार का दायित्व है कि वह पूर्ण सजगता से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की प्रविष्टियाँ त्रुटिरहित हो यह सुनिश्चित करें । फिर भी यदि निविदाकार की छोटी त्रुटी या बैंक स्तर से की गयी छोटी त्रुटी है तो ऐसे डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की स्वीकार्यता जानना जरुरी है । जिला ई-गवर्नेस सोसायटी इस स्थिति में नहीं है कि किसी त्रुटिपूर्ण डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स की वैधता या उसकी सबंधित बैंक द्वारा स्वीकार्यता के सबंध में निर्णय ले सके । अत: जिन डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स में कोई छोटी त्रुटियाँ है जो उनकी बैंक द्वारा स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो ऐसी स्थिति में सबंधित निविदाकार को 24 घंटे का समय देते हुए सबंधित बैंक (जिसने डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जारी किया है,) से यह लिखित पत्र प्रस्तुत करे जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख हो कि वह डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सबंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाते में निर्धारित राशि जमा करने हेतु स्वीकार्य है ।
2	निविदाकार द्वारा निविदा के ANNEXURE IV: CURRICULUM VITAE अनुसार लोक सेवा केन्द्र में जिन व्यक्तियों को लोक सेवा	कृपया RFP के clause - Technical Capacity (1.3.8) का अवलोकन करें, निविदा अमान्य मानी जावेगी ।

	केन्द्र में रखा जाना उनका नाम अन्य निविदा में भी रखा है, तो क्या निविदा मान्य होगी अथवा नहीं ?	
3	यदि निविदाकार द्वारा बिड Proprietary firm, registered SAMITI, a firm or a corporate body के नाम से जमा की गयी है, तब क्या Net Worth Certificate व्यक्ति के नाम से मान्य होगा अथवा नहीं ?	यदि निविदाकार व्यक्ति न होकर कोई कंपनी/फर्म/समिति है एवं निविदाकार द्वारा EMD के स्थान पर MSME/NSIC का उपयोग/लाभ लिया गया है, तो Net Worth Certificate भी सबंधित कंपनी/फर्म/समिति के नाम से होना अनिवार्य है क्योंकि ऐसी स्थिति में बिड व्यक्ति विशेष की न होकर कंपनी/फर्म/समिति के नाम से है । यदि बिड Individual (व्यक्ति) के नाम से डाली गयी है, तब Net Worth Certificate व्यक्ति के नाम से मान्य होगा ।
4	यदि निविदाकार द्वारा Net Worth Certificate के साथ methodology का परिशिष्ट संलग्न नहीं लगाया है, तब क्या निविदा मान्य होगी अथवा अमान्य ।	यदि Net Worth Certificate UDIN नंबर के साथ जारी किया गया है, तो मान्य होगा ।
5	यदि निविदाकार द्वारा Net Worth Certificate वर्ष 2018-19 का लगाया गया है, तब मान्य होगा अथवा नहीं ?	मान्य होगा, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19
6.	यदि निविदाकार द्वारा बिड अंतर्गत computer terminals along with peripherals के कोटेशन में कोई त्रुटी हो तो बिड अमान्य होगी अथवा मान्य ?	मान्य होगी, क्योंकि निविदाकार से निविदा के ANNEXURE-I एवं ANNEXURE-III पर सहमति/अंडरटेकिंग ली गयी है ।

(बी. चंद्रशेखर)
कार्यपालक संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण
भोपाल, दिनांक 07 /06/2019

पृक्रमांक.– 796 /2019/रालोसेअ प्रशासन/

1. उप-सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित |
2. जिला प्रबंधक(लोक सेवा) समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

कार्यपालक संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण